


आदेश

दिनांक-15.11.2022 को आयोजित विभागीय अनुकंपा समिति की बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सेवाकाल में मृत कर्मियों के निम्नलिखित नाबालिग आश्रितों को बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित कारणों से लंबित किया गया है :-

क्र० सं०	आश्रित का नाम / मृतक से संबंध	मृतक का नाम / पदनाम / पदस्थापन	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	अनमोल राज / पुत्र	स्व० मोहन दास / चालक हवलदार-68 / पटना	लंबित आवेदक के अन्य आश्रितों के शपथ-पत्र का सत्यापन नहीं होने के कारण।
2	रौकी रंजन / पुत्र	स्व० राजेश कुमार / स०अ०नि० / पटना	लंबित 1. अनियोजन प्रमाण-पत्र में गैर सरकारी सेवा का जिक्र नहीं है। 2. मृत्यु का कारण अंकित नहीं है। 3. विहित प्रपत्र के खण्ड-1 के कॉलम-5 में सेवारत है या नहीं, का उल्लेख नहीं है। 4. विहित प्रपत्र में दो गवाहों का पता अंकित नहीं है।
3	राकेश कुमार / पुत्र	स्व० गुड़िया कुमारी / महिला सिपाही-918 / भोजपुर	लंबित 1. विहित प्रपत्र पर चिपका हुआ फोटो मुहरांकन नहीं है। 2. अनियोजन प्रमाण-पत्र में गैर सरकारी सेवा का जिक्र नहीं है।
4	युवराज सिंह / पुत्र	स्व० सुरेश सिंह / सिपाही-610 / रोहतास	लंबित अनियोजन प्रमाण-पत्र में गैर सरकारी सेवा का जिक्र नहीं है।
5	बासुकी कुमार राज / पुत्र	स्व० नन्द किशोर पासवान / सिपाही-552 / औरंगाबाद	लंबित 1. विहित प्रपत्र पर चिपका हुआ फोटो अभिप्रमाणित नहीं है। 2. विहित प्रपत्र के खण्ड-1 की कंडिका-5 में सेवारत है या नहीं भरा हुआ नहीं है।
6	कन्हैया कुमार / पुत्र	स्व० अशोक कुमार / चालक सिपाही-31 / औरंगाबाद	लंबित पूर्व में यह मामला बैठक में रखा गया था किन्तु मृत्यु का कारण उल्लेख नहीं रहने से यह मामला लंबित रखा गया था। मृतक की विधवा द्वारा मृत्यु का कारण हत्या बताया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद से प्रतिवेदन मांगा गया है जो अबतक अप्राप्त है।

/s/

7.	आयान आलम/ पुत्र	स्व0 शाहीद आलम/ सिपाही-695/सारण	<p style="text-align: center;">लंबित</p> <p>1. विहित प्रपत्र पर अंकित और परिवारिक सूची में अंकित आवेदक के नाम में भिन्नता है। 2. विहित प्रपत्र के खण्ड-1 के घोषणा-पत्र में अंकित दो निष्पक्ष गवाहों का पता अंकित नहीं है। 3. विहित प्रपत्र के खण्ड-1 का कॉलम-8 भरा हुआ नहीं है। 4. विहित प्रपत्र पर चिपका हुआ फोटो पर मुहर अंकित नहीं है। 5. अनियोजन प्रमाण-पत्र में गैर सरकारी सेवा का जिक्र नहीं है। 6. आवेदक की माँ का अपने अन्य पुत्रों की तरफ से अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।</p>
8.	अमृत राज/पुत्र	स्व0 अम्बिका राम/ स0अ0नि0/अररिया	<p style="text-align: center;">लंबित</p> <p>आवेदक के अन्य आश्रितों के शपथ-पत्र का सत्यापन नहीं होने के कारण।</p>
9.	प्रिती कुमारी/ पुत्री	स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद/ सिपाही-373/लखीसराय	<p style="text-align: center;">लंबित</p> <p>1. अनियोजन प्रमाण-पत्र में मृतक के सभी आश्रितों का जिक्र नहीं है। 2. अनियोजन प्रमाण-पत्र में गैर सरकारी सेवा का जिक्र नहीं है।</p>
10.	शिवंष जी/पुत्र	स्व0 शिवजी पासवान/ सिपाही-328/लखीसराय	<p style="text-align: center;">लंबित</p> <p>अनियोजन प्रमाण-पत्र में गैर सरकारी सेवा का जिक्र नहीं है।</p>
11.	अनुग्रह मुण्डू/ पुत्र	स्व0 जय प्रकाश मुण्डू/ सिपाही-69/बि0वि0स0पु0 -02, डिहरी	<p style="text-align: center;">लंबित</p> <p>आवेदक के तरफ से या उनकी माँ के तरफ से परिवार का भरण-पोषण संबंधी शपथ-पत्र संलग्न नहीं है।</p>
12.	श्लोक सिंह/पुत्र	स्व0 दुर्गपाल सिंह/ हवलदार-57/बि0वि0स0पु0 (म0) सासाराम	<p style="text-align: center;">लंबित</p> <p>अनियोजन प्रमाण-पत्र अस्पष्ट है एवं अभिप्रमाणित नहीं है।</p>


 सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),
 बिहार, पटना।

पत्र संख्या:-पी0-4/43-38-32-2021/.....**११३**.....

बिहार पुलिस मुख्यालय
 (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)


पटना, दिनांक :- ११.१२.२०२१

प्रतिलिपि :-

1. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, भोजपुर/रोहतास/औरंगाबाद/सारण/अररिया/लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना एवं पुलिस अधीक्षक, अररिया से अनुरोध है कि आवेदक के अन्य आश्रितों के शपथ-पत्र का सत्यापन निम्न प्रकार से कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय–

- मृत सरकारी कर्मी के कार्यालय के सहकर्मियों से पूछकर।
 - मृतक के पारिवारिक सदस्यों से पूछकर।
 - मृतक के निकटतम परिजनों से पूछकर।
 - मृतक के मित्र आदि से पूछकर।
 - मृतक के परिवार यदि गाँव में रहते हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से पूछकर।
2. **समादेष्टा**, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (म०) सासाराम/02, डिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- संबंधित पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त आवेदकों के प्रस्ताव से संबंधित त्रुटि का निराकरण करते हुए वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),
बिहार, पटना।